तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील सायल को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायल का कथन है कि गैरसायलान द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वसीयत के आधार पर दाखिला के स्थान पर विरासतन दाखिला खारिज खुलवा लिया है, जबकि सायल के नाम वसीयत के आधार पर दाखिला खारिज होना चाहिए। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति सम्भावित है। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक गैरसायलान अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान ने कथन किया विवादित आराजी पर सायल का कब्जा नहीं है। तथा फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर गलत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है, सायल का विवादित आराजी पर कोई हित निहित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, सायल द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायलान के पूर्व पुरूष द्वारा सायल के पक्ष में वसीयत की है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने वसीयत के आधार पर दाखिला खारिज ना खोलते हुए विरासतन दाखिला खारिज खोल दिया। गैरसायलान ने कथन किया कि सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है विवादित आराजी पर गैरसायलान के पूर्व पुरूष से विरासतन उनकी खातेदारी में आई है। अतः सायल ने फर्जी वसीयत के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वसीयत के आधार पर स्वत्व घोषणा का निर्णय मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण निर्धारित करते हुए तय होगा। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया सायल को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायल अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	